



2026:AHC:50891

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9291 वर्ष 2026

सविता देवी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: श्री निवास यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी स्वयं को इस आदेश से आहत/प्रभावित महसूस करता है तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या-3/उप-जिलाधिकारी, मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर को निर्देशित किया जाए कि वे धारा 229-बी, यू.पी.जेड.ए. एवं एल.आर. अधिनियम, 1950 के अंतर्गत वाद संख्या टी201814360606224 (पूर्व वाद संख्या 182 वर्ष 1988) को यथाशीघ्र निर्णयित करें।
4. उक्त वाद प्रतिवादी संख्या-3 के समक्ष विगत लम्बे समय से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आज तक प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या-3/उप-जिलाधिकारी, मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर उपर्युक्त वाद का निर्णय **विधि के अनुसार यथाशीघ्र तथा अधिमानतः** इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से **चार माह की अवधि के भीतर** करें, तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुण-दोष (मेरिट्स) पर कोई निर्णयन नहीं किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,)

12 मार्च, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।